

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
2 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 2438/XXV-12(1-5)/2008

देहरादून : दिनांक 10 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

श्री कासिम खान,  
राष्ट्रीय अध्यक्ष, अलसाबरी वैलफेयर सोसायटी,  
राष्ट्रीय कार्यालय-अलसाबरी निवास, पिरान कलियर शरीफ,  
रूड़की, हरिद्वार पिन-247667

**विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

उपरोक्त विषयक सहायक आयुक्त/लोक सूचना अधिकारी कार्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या- 501/रा0नि0आ0-1/2225/2017 दिनांक 06-10-2017 जो आपको पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-01 में चाही गयी विधायक एवं सांसद उम्मीदवार की निर्वाचन हेतु आयु संबंधी विवरण की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं  
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
04-सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न-02 पृष्ठ यथोपरि।

*B. S. Rawat*  
(बी0एस0रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

011

(ग) यथाशक्य निकटतम बारहवां भाग ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षा संस्थाओं में, जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं, पढ़ाने के काम में कम से कम तीन वर्ष से लगे हुए हैं ;

(घ) यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई भाग राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं ;

(ङ) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा खंड (5) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशित किए जाएंगे ।

(4) खंड (3) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में चुने जाएंगे, जो संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किए जाएं तथा उक्त उपखंडों के और उक्त खंड के उपखंड (घ) के अधीन निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे ।

(5) राज्यपाल द्वारा खंड (3) के उपखंड (ङ) के अधीन नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात् :—

साहित्य, विज्ञान, कला, सहाकारी आंदोलन और समाज सेवा ।

172. राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि—(1) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से '[पांच वर्ष] तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और '[पांच वर्ष] की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा :

परंतु उक्त अवधि को, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब संसद् विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ।

(2) राज्य की विधान परिषद् का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे ।

173. राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता—कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब—

<sup>2</sup>[(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है ;]

(ख) वह विधान सभा के स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का और विधान परिषद् के स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का है ; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि<sup>3</sup> द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं ।

<sup>4</sup>[174. राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन—(1) राज्यपाल, समय-समय पर, राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा ।

(2) राज्यपाल, समय-समय पर—

(क) सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा ;

(ख) विधान सभा का विघटन कर सकेगा ।]

<sup>1</sup> संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 द्वारा (6-9-1979 से) "छह वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 4 द्वारा खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएं 5, 5क और 6 आगे भाग 2 में देखिए ।

<sup>4</sup> संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 8 द्वारा अनुच्छेद 174 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।



सूचना  
का अधिकार

सत्यमेव जयते

## राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण के लिए प्रपत्र

अनुभाग अधिकारी /  
लोक सूचना अधिकारी,  
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,  
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

श्री कासिम खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अलसाबरी वैलफेयर सोसायटी, राष्ट्रीय कार्यालय- अलसाबरी निवास, पिरान कलियार शरीफ, रुड़की हरिद्वार का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 28.09.2017, जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 04.10.2017 को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या-01 में मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया वांछित सूचना अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


भवदीय,

  
(प्रभात कुमार सिंह) 06.10.17

सहायक आयुक्त /  
लोक सूचना अधिकारी।  
मो0नं0-7534820739

संख्या- /रा0नि0आ0-1/2225/2017 तददिनांक।(पंजीकृत)

प्रतिलिपि:- श्री कासिम खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अलसाबरी वैलफेयर सोसायटी, राष्ट्रीय कार्यालय- अलसाबरी निवास, पिरान कलियार शरीफ, रुड़की, हरिद्वार पिन-247667 को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(प्रभात कुमार सिंह)  
सहायक आयुक्त /  
लोक सूचना अधिकारी।

2225

रजि0 : 1421



# अलसाबरी वेलफेयर सोसायटी

राष्ट्रीय कार्यालय : अलसाबरी निवास,  
पिरान कलियर शरीफ, रुड़की - 247667

जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड

निवास : 9760329984

कार्यालय : 08923881685

E-mail: alsabriuk@gmail.com

कासिम खान

- राष्ट्रीय अध्यक्ष

पत्रांक: 164/सु 2017-18

27/09/17 दिनांक 28/9/17  
लेन सुखु निवास  
04-10-17

सेवा में,

श्रीमान राज्य निर्वाचन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना का प्रेषण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के अन्तर्गत कृपया प्रार्थी को निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रेषित करने की

कृपा करें ।

सूचना बिन्दु:-

- 1- विधायक एवम् सांसद उम्मीदवार की निर्वाचन हेतु आयु क्या है ।
- 2- नवगठित नगर पंचायत पीरान कलियर (हरिद्वार) के अध्यक्ष पद के चुनाव के नामांकन हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है ।
- 3- अध्यक्ष पद एवम् सदस्य पद के निर्वाचन हेतु नामांकन शुल्क क्या है ।
- 4- नामांकन पत्र दाखिले के साथ क्या-क्या औपचारिकताएँ पूर्ण करनी पड़ती हैं ।
- 5- अध्यक्ष एवम् सदस्य पद के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक एवम् अनुमोदक की आवश्यकता होती है ।

सूचना प्रेषण हेतु आपकी सेवा में भा0पो0आ0 सं0 39एफ-327359 अंकन रूपये 10/-  
दिनांक 15/09/2017 आपकी सेवा में प्रेषित है ।

श्री प्रमोद (31/)

(कासिम खान)

सु0 बिन्दु-1 CEO, Office, UK  
के transfer करे वया बिन्दु  
2 to 5 section-3 से प्राप्त  
करे हेतु आ.जा. करे।

04.10.17  
P10  
(प्रमोद कुमार सिंह)  
सहायक आयुक्त,  
राज्य निर्वाचन आयोग  
उत्तराखण्ड